The Academic Matrix International Journal
ISSN: 3140-0523 (Online)
© The Academic Matrix |Volume-01| Issue-02| September- 2026
Available online at: https://academicmatrix.com/
DOI: https://doi.org/10.68677/amij.v1i2.08

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में साहित्यिक चोरी (Plagiarism) की रोकथाम : नैतिकता, नीति एवं तकनीकी उपायों का समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ0 विकास कुमार श्रीवास्तव
सहायक आचार्य (बी0एड0 विभाग)
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0 कॉलेज, गोरखपुर
ईमेलः– vikassrivastavav4@gmail.com

सारांश

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान का मूल आधार ज्ञान की मौलिकता, सत्यनिष्ठा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। किसी भी शोध की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रस्तुत विचार, विश्लेषण तथा निष्कर्ष कितने मौलिक, प्रमाणिक और नैतिक मानकों के अनुरूप हैं। वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट, ई–पुस्तकों, ऑनलाइन शोध सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लेखन उपकरणों की सहज उपलब्धता ने शोधार्थियों के लिए ज्ञानार्जन को सरल बनाया है, किंतु इसके साथ साहित्यिक चोरी जैसी गंभीर समस्या भी तेजी से बढ़ी है। साहित्यिक चोरी न केवल अनुसंधान की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा, शोध संस्कृति तथा समाज के बौद्धिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में साहित्यिक चोरी की प्रकृति, कारणों, प्रकारों तथा उसके दुष्प्रभावों का समालोचनात्मक अध्ययन करना है। साथ ही शैक्षणिक नैतिकता, संस्थागत नीतियों, शोध निर्देशन, डिजिटल तकनीकों तथा साहित्यिक चोरी पहचानने वाले सॉफ्टवेयरों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग करते हुए विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों, शोध आलेखों तथा उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केवल तकनीकी साधनों का प्रयोग साहित्यिक चोरी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि शोधार्थियों में अनुसंधान नैतिकता, मौलिक चिंतन, उचित संदर्भण पद्धति तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी समान रूप से आवश्यक है। शोध पत्र में साहित्यिक चोरी की रोकथाम हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान संस्कृति के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

कुंजी शब्दः *साहित्यिक चोरी, अनुसंधान नैतिकता, मौलिकता, शैक्षणिक सत्यनिष्ठा, उच्च शिक्षा, शोध गुणवत्ता, संदर्भण, डिजिटल प्रौद्योगिकी।*

प्रस्तावना–

अनुसंधान ज्ञान के सृजन, सत्य की खोज तथा समाज की समस्याओं के समाधान का वैज्ञानिक माध्यम है। किसी भी राष्ट्र की शैक्षणिक उन्नति, वैज्ञानिक विकास तथा नवाचार की क्षमता उसके अनुसंधान की गुणवत्ता पर निर्भर करती

है। उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे शोधकर्ताओं का निर्माण करना है जो स्वतंत्र चिंतन, तार्किक विश्लेषण तथा मौलिक ज्ञान सृजन में सक्षम हों। इसी कारण अनुसंधान में मौलिकता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है।

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने ज्ञान संसाधनों तक पहुँच को अत्यंत सरल बना दिया है। विश्वभर के लाखों शोध लेख, पुस्तकें, शोध प्रबंध तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री कुछ ही क्षणों में उपलब्ध हो जाती हैं। यह सुविधा शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसके साथ यह जोखिम भी बढ़ गया है कि बिना उचित संदर्भ दिए दूसरों के विचारों, शब्दों, आँकड़ों अथवा निष्कर्षों का उपयोग कर लिया जाए। यही स्थिति साहित्यिक चोरी कहलाती है।

साहित्यिक चोरी केवल किसी पाठ की शब्दशः नकल करना नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के विचार, अवधारणा, शोध निष्कर्ष, चित्र, तालिका, ग्राफ अथवा बौद्धिक संपदा को बिना उचित श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना भी साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है। यह शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध एक गंभ ीर अनैतिक आचरण है, जो अनुसंधान की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

उच्च शिक्षा में शोधार्थियों की बढ़ती संख्या, शीघ्र प्रकाशन की प्रवृत्ति, पदोन्नति संबंधी आवश्यकताएँ, डिजिटल संसाधनों की सहज उपलब्धता तथा शोध लेखन संबंधी अपर्याप्त प्रशिक्षण साहित्यिक चोरी की समस्या को और अधिक जटिल बना रहे हैं। यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो अनुसंधान की गुणवत्ता तथा समाज का शैक्षणिक विश्वास दोनों प्रभावित होंगे।

इसी परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक चोरी की रोकथाम केवल तकनीकी जाँच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि शोधार्थियों में नैतिक मूल्यों, उचित संदर्भण शैली, बौद्धिक ईमानदारी तथा अनुसंधान उत्तरदायित्व का विकास भी आवश्यक है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध निर्देशकों तथा नीति–निर्माताओं की सामूहिक भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

साहित्यिक चोरी की अवधारणा–

साहित्यिक चोरी का शाब्दिक अर्थ हैकृकिसी अन्य व्यक्ति की बौद्धिक कृति, विचार, अभिव्यक्ति, शोध निष्कर्ष अथवा रचनात्मक कार्य को बिना उचित श्रेय या संदर्भ दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना। यह केवल शब्दों की नकल तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी विचार, सिद्धांत, चित्र, तालिका, ग्राफ, आँकड़े, शोध पद्धति, कंप्यूटर प्रोग्राम, अनुवाद, प्रस्तुतीकरण शैली अथवा किसी भी प्रकार की बौद्धिक संपदा का अनुचित उपयोग भी साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है। शोध की दृष्टि से यह शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध एक गंभीर अनैतिक आचरण है।

ज्ञान का विकास पूर्ववर्ती ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए पूर्व शोधों का उपयोग स्वाभाविक और आवश्यक है। किंतु उस उपयोग का आधार उचित संदर्भण, उद्धरण एवं लेखक को श्रेय देना होना चाहिए। जब कोई शोधकर्ता ऐसा नहीं करता और दूसरों के कार्य को अपना मौलिक कार्य बताकर प्रस्तुत करता है, तब वह साहित्यिक चोरी का दोषी माना जाता है।

साहित्यिक चोरी की परिभाषाएँ–

विभिन्न विद्वानों एवं शैक्षणिक संस्थानों ने साहित्यिक चोरी को अलग–अलग शब्दों में परिभाषित किया है, परंतु सभी परिभाषाओं का मूल भाव एक ही हैकृबिना उचित श्रेय दिए किसी अन्य की बौद्धिक संपदा का उपयोग करना। शोध नैतिकता के अनुसार साहित्यिक चोरी वह स्थिति है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, भाषा, तथ्यों, विश्लेषण या

निष्कर्षों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वे स्वयं के मौलिक कार्य के रूप में प्रतीत हों। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्यनिष्ठा की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक शोधकर्ता का दायित्व है कि वह अपने कार्य में प्रयुक्त प्रत्येक स्रोत का उचित एवं सत्यापित संदर्भ प्रस्तुत करे।

साहित्यिक चोरी का स्वरूप

आधुनिक अनुसंधान में साहित्यिक चोरी अनेक रूपों में दिखाई देती है। कई बार यह जानबूझकर की जाती है, जबकि अनेक बार शोध लेखन की अपर्याप्त जानकारी, संदर्भण शैली की अनभिज्ञता अथवा लेखन कौशल की कमी के कारण अनजाने में भी हो जाती है। इसलिए शोधार्थियों को साहित्यिक चोरी के विभिन्न स्वरूपों की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है।

साहित्यिक चोरी के प्रमुख प्रकार–

(1) प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी

जब किसी पुस्तक, शोधपत्र अथवा अन्य स्रोत के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन तथा बिना संदर्भ दिए ज्यों–का–त्यों अपने शोध में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी कहा जाता है। यह साहित्यिक चोरी का सबसे गंभीर रूप माना जाता है।

(2) मोजेक अथवा पैचवर्क साहित्यिक चोरी

इस प्रकार में शोधकर्ता विभिन्न स्रोतों से कुछ शब्द, वाक्य या अनुच्छेद लेकर उनमें हल्का परिवर्तन करता है तथा उन्हें अपने मौलिक लेखन के रूप में प्रस्तुत कर देता है। देखने में यह नया लेखन प्रतीत होता है, किंतु इसकी मूल संरचना अन्य स्रोतों से ली गई होती है।

(3) परिभाषित साहित्यिक चोरी

जब किसी लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखा जाता है, परंतु मूल लेखक का संदर्भ नहीं दिया जाता, तब यह परिभाषित साहित्यिक चोरी कहलाती है। अनेक शोधार्थी इसे साहित्यिक चोरी नहीं मानते, जबकि यह भी समान रूप से अनैतिक है।

(4) स्व–साहित्यिक चोरी

यदि कोई शोधकर्ता अपने ही पूर्व प्रकाशित शोधपत्र, शोधप्रबंध या पुस्तक की सामग्री को बिना यह बताए पुनः प्रकाशित करता है, तो इसे स्व–साहित्यिक चोरी कहा जाता है। एक ही सामग्री का बार–बार उपयोग शैक्षणिक नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है।

(5) आकस्मिक साहित्यिक चोरी

कई बार उचित संदर्भ न देने, उद्धरण चिह्नों का सही प्रयोग न करने अथवा संदर्भ सूची तैयार करने में त्रुटि के कारण अनजाने में साहित्यिक चोरी हो जाती है। यद्यपि यह जानबूझकर नहीं होती, फिर भी शैक्षणिक दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

(6) अनुवाद आधारित साहित्यिक चोरी

यदि किसी भाषा में प्रकाशित सामग्री का दूसरी भाषा में अनुवाद करके बिना मूल लेखक को श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत किया जाए, तो यह भी साहित्यिक चोरी का एक गंभीर रूप है।

साहित्यिक चोरी के प्रमुख कारण

साहित्यिक चोरी के पीछे अनेक व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सामाजिक कारण उत्तरदायी होते हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

- शोध लेखन एवं संदर्भण शैली का अपर्याप्त ज्ञान।
- शोध कार्य शीघ्र पूरा करने का दबाव।
- प्रकाशन की अनिवार्यता एवं पदोन्नति की प्रतिस्पर्धा।
- डिजिटल संसाधनों की अत्यधिक उपलब्धता।
- अनुसंधान नैतिकता के प्रति उदासीनता।
- मौलिक चिंतन एवं अकादमिक लेखन कौशल का अभाव।
- प्रभावी शोध निर्देशन का अभाव।
- साहित्यिक चोरी संबंधी नियमों की सीमित जानकारी।
- साहित्यिक चोरी के दुष्परिणाम
- साहित्यिक चोरी का प्रभाव केवल संबंधित शोधकर्ता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ता है।
- शोध की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता कम हो जाती है।
- संस्थान की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।
- शोधकर्ता की अकादमिक साख नष्ट हो सकती है।
- शोधपत्र अस्वीकृत अथवा वापस लिया जा सकता है।
- उपाधि निरस्त होने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- समाज में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति विश्वास कम होता है।
- मौलिक शोधकर्ताओं का उत्साह प्रभावित होता है।

साहित्यिक चोरी का सैद्धांतिक आधार–

अनुसंधान नैतिकता का आधार सत्य, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता है। प्रत्येक शोधकर्ता पर यह नैतिक दायित्व होता है कि वह अपने अध्ययन में प्रयुक्त प्रत्येक स्रोत का उचित उल्लेख करे। बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) की अवधारणा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक रचना पर नैतिक एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

शोध में मौलिकता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विचार पूर्णतः नया हो, बल्कि यह है कि पूर्ववर्ती ज्ञान का उपयोग उचित संदर्भों के साथ करते हुए उसमें नया विश्लेषण, नई व्याख्या, नवीन दृष्टिकोण अथवा नवीन निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएँ। यही दृष्टिकोण अनुसंधान को वैज्ञानिक, विश्वसनीय एवं समाजोपयोगी बनाता है।

स्पष्ट है कि साहित्यिक चोरी केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि शैक्षणिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। इसकी रोकथाम के लिए नियमों का निर्माण पर्याप्त नहीं हैय आवश्यक है कि शोधार्थियों में मौलिक चिंतन, अकादमिक लेखन

कौशल, उचित संदर्भण की समझ तथा अनुसंधान नैतिकता के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता विकसित की जाए। यही स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान संस्कृति का आधार है।

संबंधित साहित्य का समालोचनात्मक अवलोकन एवं उच्च शिक्षा में साहित्यिक चोरी की वर्तमान स्थिति किसी भी शोध की वैज्ञानिकता एवं प्रामाणिकता उसके पूर्ववर्ती अध्ययनों के सम्यक् विश्लेषण पर आधारित होती है। संबंधित साहित्य का अध्ययन न केवल शोध समस्या की पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि उस क्षेत्र में अब तक क्या कार्य हुआ है, किन बिंदुओं पर मतभेद हैं तथा भविष्य में किन क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है। साहित्यिक चोरी की समस्या पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अध्ययन किए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यह केवल व्यक्तिगत नैतिकता का प्रश्न नहीं, बल्कि संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था, अनुसंधान संस्कृति एवं संस्थागत उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ विषय है।

प्रारंभिक अध्ययनों में साहित्यिक चोरी को मुख्यतः दूसरों के शब्दों की प्रतिलिपि के रूप में देखा जाता था, किंतु समय के साथ इसकी अवधारणा व्यापक हुई। आधुनिक शोधों ने स्पष्ट किया कि केवल शब्दशः नकल ही नहीं, बल्कि बिना संदर्भ दिए विचारों, सिद्धांतों, शोध पद्धतियों, आँकड़ों, चित्रों, सारणियों, आलेखों, कंप्यूटर प्रोग्राम, अनुवादित सामग्री तथा स्वयं के पूर्व प्रकाशित कार्य का अनुचित पुनः उपयोग भी साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार वर्तमान शोध साहित्य साहित्यिक चोरी को बौद्धिक ईमानदारी के उल्लंघन के रूप में देखता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आया है कि शोधार्थियों में साहित्यिक चोरी का एक प्रमुख कारण अकादमिक लेखन तथा संदर्भण शैली का अपर्याप्त ज्ञान है। अनेक विद्यार्थी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बावजूद यह नहीं समझ पाते कि किसी विचार को उद्धृत कैसे किया जाए, परिभाषित करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए तथा संदर्भ सूची किस मानक शैली में तैयार की जाए। परिणामस्वरूप अनजाने में भी साहित्यिक चोरी हो जाती है। यह स्थिति विशेष रूप से उन शोधार्थियों में अधिक देखी गई है जिन्हें औपचारिक रूप से अनुसंधान पद्धति एवं शैक्षणिक लेखन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है।

समकालीन शोध यह भी इंगित करते हैं कि 'प्रकाशित करो अथवा पीछे रह जाओ' की संस्कृति ने भी साहित्यिक चोरी की समस्या को बढ़ावा दिया है। विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध प्रकाशनों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं शैक्षणिक मूल्यांकन से जोड़ दिए जाने के कारण अनेक शोधकर्ता कम समय में अधिक प्रकाशन करने का प्रयास करते हैं। समय का दबाव, प्रतिस्पर्धा तथा प्रदर्शन की मानसिकता कभी–कभी उन्हें नैतिक सीमाओं से समझौता करने के लिए प्रेरित कर देती है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास ने इस समस्या को दोहरे रूप में प्रभावित किया है। एक ओर इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकालय, मुक्त अभिगम शोध सामग्री तथा ऑनलाइन डेटाबेस ने गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को सरल बनाया हैय दूसरी ओर अत्यधिक सामग्री की उपलब्धता के कारण बिना उचित संदर्भ दिए सामग्री की प्रतिलिपि बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। कई अध्ययनों में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि तकनीकी सुविधा स्वयं समस्या नहीं है, बल्कि उसका अनैतिक उपयोग समस्या का मूल कारण है।

हाल के वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लेखन उपकरणों के उपयोग ने भी शोध नैतिकता के समक्ष नए प्रश्न खड़े किए हैं। यदि इन उपकरणों का उपयोग भाषा सुधार, विचारों के संगठन अथवा प्रारंभिक मसौदा तैयार करने तक सीमित रहे और अंतिम लेखन शोधकर्ता की मौलिक समझ एवं उचित संदर्भण पर आधारित हो, तो वे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किंतु यदि इनका उपयोग मौलिक चिंतन के स्थान पर तैयार सामग्री प्रस्तुत करने के लिए किया जाए,

तो इससे अनुसंधान की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए वर्तमान शोध साहित्य के उत्तरदायित्वपूर्ण एवं पारदर्शी उपयोग पर बल देता है।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में भी साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत प्रयास किए गए हैं। विश्वविद्यालयों में शोधप्रबंध एवं शोधपत्रों की पूर्व–जाँच, अनुसंधान नैतिकता संबंधी पाठ्यक्रम, संदर्भण शैली का प्रशिक्षण तथा प्लेजरिज्म जाँच सॉफ्टवेयरों का उपयोग अब सामान्य होता जा रहा है। इसके बावजूद अनेक अध्ययन बताते हैं कि केवल सॉफ्टवेयर आधारित जाँच पर्याप्त नहीं है। यदि शोधार्थी में नैतिक उत्तरदायित्व, बौद्धिक ईमानदारी एवं मौलिक चिंतन की भावना विकसित नहीं होगी, तो तकनीकी उपाय स्थायी समाधान सिद्ध नहीं हो सकते।

संबंधित साहित्य का समालोचनात्मक विश्लेषण यह भी स्पष्ट करता है कि शोध निर्देशक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन संस्थानों में शोध निर्देशक नियमित रूप से मसौदों की समीक्षा करते हैं, उचित संदर्भण सिखाते हैं तथा मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ साहित्यिक चोरी की घटनाएँ अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत जहाँ निर्देशन केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है, वहाँ शोध की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और साहित्यिक चोरी की संभावना भी बढ़ जाती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए शोधों में शैक्षणिक सत्यनिष्ठा को संस्थागत संस्कृति का अंग माना गया है। अनेक विश्वविद्यालयों ने केवल दंडात्मक व्यवस्था पर निर्भर रहने के स्थान पर जागरूकता, प्रशिक्षण, परामर्श एवं लेखन सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध लेखन, उद्धरण शैली, संदर्भ सूची निर्माण तथा नैतिक लेखन का प्रशिक्षण दिया जाता है। शोधों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि दंड की अपेक्षा शिक्षा एवं जागरूकता अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। उपलब्ध साहित्य का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि साहित्यिक चोरी की समस्या बहुआयामी है। इसके समाधान के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि शोधार्थियों, शिक्षकों, शोध निर्देशकों, विश्वविद्यालयों तथा नीति–निर्माताओं की साझा जिम्मेदारी आवश्यक है। मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संदर्भण की शुद्धता तथा अनुसंधान नैतिकता का समन्वित विकास ही इस समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

अध्ययन की शोध–रिक्ति–

उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन साहित्यिक चोरी की पहचान, उसके प्रकार अथवा तकनीकी जाँच उपकरणों तक सीमित हैं। नैतिक शिक्षा, संस्थागत संस्कृति, शोध निर्देशन, शोधार्थियों के लेखन कौशल तथा तकनीकी उपायों के समन्वित प्रभाव पर अपेक्षाकृत कम अध्ययन उपलब्ध हैं। प्रस्तुत शोध पत्र इसी शोध–रिक्ति को ध्यान में रखते हुए साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए नैतिक, नीतिगत तथा तकनीकी उपायों का समग्र एवं समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शोध पद्धति–

प्रस्तुत शोध पत्र गुणात्मक एवं वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसंधान नैतिकता, शैक्षणिक सत्यनिष्ठा, साहित्यिक चोरी की रोकथाम, संदर्भण पद्धतियों, उच्च शिक्षा नीतियों तथा शोध गुणवत्ता से संबंधित पुस्तकों, शोध–पत्रों, नीति–दस्तावेजों, विश्वविद्यालयीय दिशानिर्देशों एवं अन्य प्रामाणिक शैक्षणिक स्रोतों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य किसी विशेष विश्वविद्यालय या शोधार्थी का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान व्यवस्था में साहित्यिक चोरी की समस्या के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते हुए उसके प्रभावी समाधान प्रस्तुत

करना है। अध्ययन में तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे विषय के नैतिक, तकनीकी तथा संस्थागत पक्षों का संतुलित विश्लेषण किया जा सके।

साहित्यिक चोरी की रोकथाम हेतु नैतिक उपाय–

साहित्यिक चोरी की समस्या का स्थायी समाधान केवल तकनीकी जाँच से संभव नहीं है। इसका सबसे प्रभावी आधार अनुसंधान नैतिकता है। जब शोधकर्ता सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं बौद्धिक ईमानदारी को अपने अनुसंधान का अभिन्न अंग बना लेता है, तब साहित्यिक चोरी की संभावना स्वतः कम हो जाती है।

शैक्षणिक सत्यनिष्ठा का विकास

प्रत्येक शोधार्थी को यह समझना चाहिए कि अनुसंधान का उद्देश्य केवल उपाधि प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान का विकास करना है। यदि शोधकर्ता सत्य, प्रमाणिकता एवं मौलिकता को प्राथमिकता देता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में अनैतिक साधनों का उपयोग नहीं करेगा। शोधकर्ता के व्यक्तित्व में ईमानदारी, उत्तरदायित्व और बौद्धिक निष्पक्षता जैसे गुणों का विकास साहित्यिक चोरी की रोकथाम का मूल आधार है।

मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन

वर्तमान समय में जानकारी प्राप्त करना सरल है, किंतु नवीन विचार प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण है। शोधार्थियों को केवल सामग्री संकलन तक सीमित न रहकर विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए। किसी भी विषय पर स्वयं विचार करना, तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करना तथा स्वतंत्र निष्कर्ष प्रस्तुत करना ही वास्तविक अनुसंधान है।

उचित संदर्भण का अभ्यास

अनुसंधान में प्रयुक्त प्रत्येक विचार, उद्धरण, तथ्य, आँकड़े अथवा सिद्धांत का उचित संदर्भ देना आवश्यक है। यदि शोधार्थी प्रारंभ से ही व्यवस्थित रूप से स्रोतों का अभिलेखन करता है, तो अंतिम लेखन के समय साहित्यिक चोरी की संभावना अत्यंत कम हो जाती है अथवा अन्य मानक संदर्भ शैलियों का व्यवस्थित उपयोग शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

अनुसंधान नैतिकता का प्रशिक्षण

विश्वविद्यालयों में शोध प्रारंभ करने से पूर्व अनुसंधान नैतिकता, अकादमिक लेखन, संदर्भण शैली तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इससे शोधार्थियों में प्रारंभिक स्तर पर ही सही अनुसंधान संस्कृति का विकास होगा तथा भविष्य में साहित्यिक चोरी की घटनाओं में कमी आएगी।

संस्थागत उपाय

साहित्यिक चोरी की रोकथाम केवल शोधार्थी का दायित्व नहीं है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान तथा शोध निर्देशक भी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

स्पष्ट संस्थागत नीति

प्रत्येक विश्वविद्यालय में साहित्यिक चोरी की रोकथाम हेतु स्पष्ट नीति, नियम एवं कार्यप्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए। इन नियमों की जानकारी प्रत्येक शोधार्थी एवं शिक्षक को प्रवेश के समय ही प्रदान की जानी चाहिए। नियमों का समान एवं निष्पक्ष पालन संस्थागत विश्वास को मजबूत बनाता है।

शोध निर्देशन की गुणवत्ता

शोध निर्देशक केवल औपचारिक स्वीकृति देने वाले अधिकारी न होकर शोध प्रक्रिया के सक्रिय मार्गदर्शक होने चाहिए। नियमित समीक्षा, संशोधन तथा रचनात्मक सुझाव शोध की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और साहित्यिक चोरी की संभावना कम करते हैं। शोध निर्देशक को प्रत्येक अध्याय की मौलिकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

शोध लेखन कार्यशालाएँ

विश्वविद्यालयों में समय–समय पर शोध लेखन, संदर्भण शैली, उद्धरण पद्धति, अकादमिक लेखन तथा शोध नैतिकता पर कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए। इससे शोधार्थियों में व्यावहारिक दक्षता विकसित होती है तथा वे गुणवत्तापूर्ण शोध लेखन करने में सक्षम बनते हैं।

लेखन सहायता केंद्र

उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ शोधार्थियों को भाषा, संदर्भण, उद्धरण, शोध संरचना तथा संपादन संबंधी विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध हो सके। इससे लेखन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है।

पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था

शोध प्रबंधों एवं शोध पत्रों के मूल्यांकन में गुणवत्ता, मौलिकता तथा संदर्भण की शुद्धता को प्रमुख मानदंड बनाया जाना चाहिए। केवल औपचारिक मूल्यांकन के स्थान पर गहन अकादमिक समीक्षा की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

तकनीकी उपाय

डिजिटल युग में साहित्यिक चोरी की रोकथाम में तकनीकी साधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यद्यपि तकनीक स्वयं समाधान नहीं है, फिर भी यह प्रभावी सहायक माध्यम अवश्य है।

प्लेजरिज्म जाँच सॉफ्टवेयरों का उपयोग

शोधपत्र अथवा शोधप्रबंध को अंतिम रूप देने से पूर्व साहित्यिक समानता की जाँच की जानी चाहिए। इससे अनजाने में हुई त्रुटियों की पहचान कर उन्हें समय रहते सुधारा जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समानता और साहित्यिक चोरी दोनों समान नहीं हैं। अंतिम निर्णय विषय विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाना चाहिए।

संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर

आधुनिक संदर्भ प्रबंधन उपकरणों की सहायता से शोधार्थी व्यवस्थित रूप से स्रोतों का संकलन तथा संदर्भ सूची तैयार कर सकते हैं। इससे उद्धरण संबंधी त्रुटियाँ कम होती हैं तथा लेखन अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनता है।

डिजिटल रिपॉजिटरी

विश्वविद्यालयों में स्वीकृत शोधप्रबंधों का डिजिटल संग्रह विकसित किया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ती है तथा अनावश्यक पुनरावृत्ति एवं साहित्यिक चोरी की संभावना कम होती है। साथ ही शोधार्थियों को पूर्ववर्ती शोध कार्यों का अध्ययन करने में सुविधा मिलती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों का उपयोग केवल भाषा सुधार, व्याकरण संशोधन, विचारों के संगठन अथवा प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने तक सीमित होना चाहिए। अंतिम विश्लेषण, निष्कर्ष एवं शैक्षणिक उत्तरदायित्व पूर्णतः

शोधकर्ता का होना चाहिए। बिना समीक्षा के ।प – जनित सामग्री को शोध के रूप में प्रस्तुत करना अनुसंधान नैतिकता के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

समालोचनात्मक विश्लेषण

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए केवल दंडात्मक नीति पर्याप्त नहीं है। यदि शोधार्थी में अनुसंधान के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता विकसित नहीं होगी, तो तकनीकी साधनों का प्रभाव सीमित रहेगा। दूसरी ओर यदि संस्थागत संस्कृति पारदर्शी, सहयोगात्मक एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित होगी, तो शोध की गुणवत्ता स्वतः बेहतर होगी।

अतः साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए नैतिक शिक्षा, अनुसंधान प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शोध निर्देशन, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा आधुनिक तकनीकी साधनोंकृइन सभी का समन्वित उपयोग आवश्यक है। यही समन्वित दृष्टिकोण उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट, विश्वसनीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुसंधान संस्कृति के निर्माण का आधार बन सकता है।

सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर साहित्यिक चोरी की रोकथाम हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

- प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान में अनुसंधान नैतिकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- शोधार्थियों को शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संदर्भण शैली तथा अकादमिक लेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक शोध प्रबंध एवं शोध पत्र की अंतिम स्वीकृति से पूर्व प्लेजरिज्म जाँच अनिवार्य की जानी चाहिए तथा उसकी रिपोर्ट का शैक्षणिक परीक्षण भी किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों में अकादमिक लेखन सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ शोधार्थियों को लेखन, उद्धरण, संदर्भ सूची तथा भाषा संबंधी सहायता उपलब्ध हो।
- शोध निर्देशक समय–समय पर शोध कार्य की प्रगति की समीक्षा करें तथा प्रत्येक अध्याय की मौलिकता का परीक्षण करें।
- अनुसंधान मूल्यांकन में केवल प्रकाशनों की संख्या के स्थान पर उनकी गुणवत्ता, मौलिकता तथा सामाजिक उपयोगिता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- शोधार्थियों में बौद्धिक संपदा अधिकार एवं कॉपीराइट संबंधी जागरूकता विकसित की जानी चाहिए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (।प्) आधारित लेखन उपकरणों के उपयोग हेतु स्पष्ट संस्थागत दिशा–निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिससे उनका उपयोग सहायक साधन के रूप में हो, न कि मौलिक अनुसंधान के विकल्प के रूप में।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्यनिष्ठा को संस्थागत संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
- साहित्यिक चोरी करने वाले शोधार्थियों के लिए केवल दंडात्मक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सुधारात्मक एवं परामर्शात्मक व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष–

अनुसंधान ज्ञान–सृजन की एक सतत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका आधार सत्य, मौलिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। साहित्यिक चोरी इस प्रक्रिया को न केवल प्रभावित करती है, बल्कि अनुसंधान की विश्वसनीयता, शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा तथा समाज के बौद्धिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वर्तमान डिजिटल युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने ज्ञान संसाधनों तक पहुँच को अत्यंत सरल बनाया है, किंतु इसके साथ साहित्यिक चोरी की चुनौती भी अधिक जटिल हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि साहित्यिक चोरी का समाधान केवल तकनीकी जाँच अथवा दंडात्मक नीतियों से संभव नहीं है। इसके लिए अनुसंधान नैतिकता, शैक्षणिक सत्यनिष्ठा, मौलिक चिंतन, गुणवत्तापूर्ण शोध निर्देशन, उचित संदर्भण पद्धति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व का समन्वित विकास आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को ऐसी अनुसंधान संस्कृति विकसित करनी चाहिए जिसमें शोधार्थी मौलिक लेखन को अपना नैतिक दायित्व समझें तथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करें।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंधान को केवल उपाधि प्राप्त करने का माध्यम न मानकर ज्ञान के सृजन, सामाजिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रगति के साधन के रूप में देखा जाए। जब शोधकर्ता, शोध निर्देशक, विश्वविद्यालय तथा नीति–निर्माता सामूहिक रूप से अनुसंधान नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, तभी साहित्यिक चोरी जैसी समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा और भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर पर अपनी विश्वसनीयता एवं उत्कृष्टता को और अधिक सुदृढ़ बना सकेगी।

संदर्भ सूची–

- शर्मा, आर. ए. शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी।
- गुप्ता, एस. पी. अनुसंधान पद्धति एवं सांख्यिकी।
- कपिल, एच. के. अनुसंधान विधियाँ।
- सिंह, अरुण कुमार. मनोविज्ञान, समाज विज्ञान एवं शिक्षा में अनुसंधान विधियाँ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. (2018). उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम संबंधी विनियम।
- अग्रवाल, जे. सी. (2018). शैक्षिक अनुसंधान. नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस।
- बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. एवं कान, जेम्स वी. (हिंदी संस्करण). (2019). शिक्षा में अनुसंधान. नई दिल्लीः प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया।
- चौधरी, बी. आर. एवं साहू, रेखराज. (2021). बौद्धिक संपदा एवं साहित्यिक चोरी. स्क्रिपाउन पब्लिकेशन।
- बाजपेयी, नितिन. (2024). 'शोध के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी का प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।'
- भारतीय जनसंचार संस्थान. प्रकाशन नैतिकता एवं साहित्यिक चोरी।
- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय. साहित्यिक चोरी संबंधी दिशा–निर्देश।

Cite this Article:

श्रीवास्तव,डॉ0 विकास कुमार ,(2026). उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में साहित्यिक चोरी (Plagiarism) की रोकथाम : नैतिकता, नीति एवं तकनीकी उपायों का समालोचनात्मक अध्ययन, **The Academic Matrix International Journal, ISSN:3140-0523 (Online), Volume 01, Issue 02,Pp.48-58, September-2026. Journal**

URL: https://academicmatrix.com/, DOI: https://doi.org/10.68677/amij.v1i2.08

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer: The views, opinions, interpretations, analyses, conclusions, recommendations, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) bear full responsibility for the originality, accuracy, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring compliance with applicable academic and ethical standards, including those relating to plagiarism, AI-generated or AI-assisted content, copyright infringement, data fabrication or falsification, and other forms of research or academic misconduct.